

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



31- रुडकी विधान सभा, इटावा जिले (निर्वाचन क्षेत्र से)
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा इटावा जिले (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, मेनोहर लाल शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी जलवंत सिंह
आयु 68 वर्ष, जो 7/1, शोथपुरी रुडकी, फिरोजपुर
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। नहीं

(यादे अभ्यर्थी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 25-4

(ii) पुलिस थाना (थाने) 25-4 जिला (जिले) 25-4 राज्य 25-4

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 25-4

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई 25-4

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था 25-4

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं 25-4

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ✓

Mukherjee

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... २५-५

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... २५-५

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... २५-५ जिला (जिलें) २५-५

राज्य २५-५

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... २५-५

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... २५-५

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... २५-५



Munshoring
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रुडकी स्थान पर आज तारीख *09/01/2012* को सत्यापित किया।

Munshoring
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

VERIFIED & ATTESTED

IDENTIFIED BY
विनय कुमार शर्मा

(S.K. MAHESHWARI)

Advocate & Notary Public

R.N. 42 (3) 2008, Ch. No. 142

Uttaranchal Distt. Haridwar (U.K.)

SR No 62

TIME 8.40 A.M./P.M.

कोर्ट में

रुडकी (हरिद्वार) उत्तरांचल

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 154444

कोटासिंहगढ़ी (सहकी)
कोड शिवा - 5500
12 DEC 2011
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2010 2011



(मनोहर लाल शर्मा)

Manoj Lal Sharma